संख्या– 1616/पांच–5–2020

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग–5 दिनांक :06 अगस्त, 2020

विषयः इन्टीग्रेटेड कोविड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर के माध्यम से पुष्ट रोगियों के होम आइसोलेशन एवं अस्पताल में भर्ती हेतु विकेन्द्रित प्रकिया की व्यवस्था।

महोदय/महोदया,

शासनादेश संख्या–1511/पांच–5–2020 दिनांक 18.07.2020 द्वारा प्रत्येक जनपद में इन्टीग्रेटेड कोविड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर बनाए गए हैं। कमाण्ड सेन्टर के माध्यम से पुष्ट रोगी होम आइसोलेशन अथवा कोविड अस्पताल में भेजने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाता है। जिन जनपदों में बहुत कम पुष्ट रोगी चिन्हांकित हो रहे हैं वहां पर यह कार्य सरलता पूर्वक कर पाना सम्भव हो रहा है किन्तु यह प्रकाश में आया है कि जिन जनपदों में अधिक संख्या में संक्रमण के प्रकरण सामने आ रहे हैं वहां पर इस कार्य में कठिनाई का अनुभव किया जा रहा है। उक्त के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत् व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया है :–

1– जिला मुख्यालय के शहर/नगर को सुविधानुसार कई जोन में विभक्त किया जाए। प्रत्येक जोन मुख्यालय पर डाक्टर, सहकर्मी, डेटाइन्ट्री आपरेटर तथा रैपिड रिस्पांस टीम (आर0आर0टी0) उपलब्ध हो। प्रत्येक जोन में दो शिफ्ट में, क्रमशः प्रातः 7.00 बजे से अपरान्ह् 3.00 बजे तक एवं अपरान्ह् 3.00 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक कार्य किया जायेगा।

जोनल कार्यालय को यथा सम्भव अर्बन पी0एच0सी0 में स्थापित किया जाय। अर्बन पी0एच0सी0 उपलब्ध न होने पर अन्य किसी कार्यालय में स्थापित किया जाय। अर्बन पी0एच0सी0 के प्रभारी चिकित्साधिकारी इस जोनल कार्यालय के प्रभारी के रूप में कार्य करेंगे। यदि अर्बन पी0एच0सी0 उपलब्ध न हो और किसी अन्य भवन में जोनल कार्यालय

स्थापित किया जाता है तो वहां लगायी गयी टीमों के चिकित्सा अधिकारियों में से वरिष्ठतम चिकित्साधिकारी को उस जोनल कार्यालय का प्रभारी नामित किया जाय।

जोनल कार्यालय के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को स्पष्टतया परिभाषित किया जाए ताकि उस क्षेत्र के लोग वहाँ सम्पर्क स्थापित कर सकें। जोनल कार्यालय का दूरभाष नम्बर भी उपलब्ध कराया जाए, जो प्रातः 07 बजे से रात्रि 11 बजे तक अवश्य कार्य करे।

2– कोविड पोर्टल upcovid19tracks.in पर पुष्ट केस की सूचना मिलते ही जनपदीय इन्टीग्रेटेड कोविड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर से सम्बन्धित जोन को यह सूचना उपलब्ध करायी जायेगी।

3– जोनल मुख्यालय पर उपलब्ध डाक्टर एवं उनकी टीम द्वारा इन पुष्ट रोगियों से दूरभाष पर सम्पर्क किया जायेगा तथा उनका हालचाल लिया जायेगा। उक्त के आधार पर यह निर्णय लिया जायेगा कि पुष्ट रोगी होम आईसोलेशन के योग्य है या उनकी स्थिति के अनुसार कोविड अस्पताल में भेजा जाना है।

4– जिन रोगियों को अस्पताल में भेजा जाना होगा उनके विषय में सूचना जोनल कार्यालय द्वारा जनपदीय इन्टीग्रेटेड कोविड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर को उपलब्ध करायी जायेगी। जो रोगी भुगतान के आधार पर निजी चिकित्सालय अथवा semi paid L-1+ सुविधा में जाना चाहेंगे, उनकी सूचना भी कमाण्ड सेंटर को दी जाएगी।

5– इन्टीग्रेटेड कोविड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर द्वारा इन रोगियों के लिए उपयुक्त स्तर के अस्पताल का निर्धारण करते हुए 108 एम्बुलेंस को काल बुक की जायेगी। 108 एम्बुलेंस द्वारा तत्काल मरीज को आवंटित किए गए अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया जायेगा तथा अस्पताल में पहुंचने पर एम्बुलेंस के कर्मी द्वारा इस आशय की सूचना कमाण्ड सेंटर को उपलब्ध करायी जायेगी।

यह स्पष्ट किया जाता है कि कोविड कार्य के लिए 108 एम्बुलेंस को काल सेंटर के माध्यम से ही बुक किया जाएगा ताकि इसके संचालन का स्पष्ट विवरण जी0पी0एस0 के माध्यम से प्राप्त हो सके। चिन्हित 108 एम्बुलेंसों के व्यस्त होने की दशा में अन्य एम्बुलेंस सीधे निर्देशित कर भेजे जा सकेंगे।

6– इन्टीग्रेटेड कोविड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर द्वारा आवंटित किये गये कोविड अस्पताल को रोगी के सम्बन्ध में सूचना पूर्व से ही उपलब्ध करा दी जायेगी जिससे रोगी के वहां पहुंचने पर कोई असमंजस की स्थिति न बने।

7– 108 एम्बुलेंस हेतु एक घर को एक यूनिट माना जाएगा। यदि एक घर में एक से अधिक लोग संक्रमित होते हैं तो एक एम्बुलेंस में ही बैठाकर कोविड अस्पताल ले जाया जाएगा। एक एम्बुलेंस में एक बार में कई घरों से मरीजों को पहुंचाने के लिए कहना उपयुक्त नही होगा क्योकि इससे जगह–जगह प्रतीक्षा करने में समय की हानि होती है।

8– भुगतान के आधार पर निजी चिकित्सालयों तथा semi paid L-1+ की सुविधा में भर्ती हेतु मरीज के अनुरोध पर उसे निजी अस्पताल के एम्बुलेंस अथवा सावधानी के साथ अपने वाहन से जाने की अनुमति भी दी जा सकती है। निजी चिकित्सालय/ semi paid L-1+ ऐसे रोगी के भर्ती होते ही इन्टीग्रेटेड कोविड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर को अवगत कराएँगे।

9– जोनल कार्यालय द्वारा होम आइसोलेशन के लिए चिन्हांकित किये गये रोगी के घर पर रैपिड रिस्पांस टीम भेजी जायेगी, जो उसके घर एवं रोगी की परिस्थिति का निरीक्षण कर निर्णय लेगी कि वे होम आइसोलेशन के उपयुक्त हैं अथवा नहीं। आर0आर0टी0 को रोगी के घर सूचना प्राप्त होने की तिथि पर पहुँचना आवश्यक होगा।

10–रोगी को होम आइसोलेशन हेतु उपयुक्त न पाए जाने की दशा में कमांड सेंटर को उपयुक्त कोविड अस्पताल के आवंटन हेतु सूचना दी जाएगी।

11–होम आइसोलेशन के लिए किसी रोगी को उपयुक्त पाये जाने की दशा में रैपिड रिस्पांस टीम द्वारा निम्नवत् कार्यवाही की जायेगी:–

क– उसके तापमान एवं आक्सीजन लेवल का सैचुरेशन मापा जाएगा।

ख– रोगी को एक पूर्व से ही छपा हुआ चिकित्सकीय पर्चा उपलब्ध कराया जायेगा जिसमें आवश्यक दवाइयाँ एवं उनके लेने के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध होगी। इसी पर्चे पर जोनल कार्यालय तथा इन्टीग्रेटेड कोविड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर का फोन नम्बर उपलब्ध होगा।

ग– आर.आर.टी. के द्वारा रोगी से हस्ताक्षरित अंडरटेकिंग ली जाएगी तथा एडवाइजरी भी उपलब्ध करायी जाएगी। उक्त के अतिरिक्त रोगी को अगले 10 दिनों के लिए आवश्यक दवाइयों का पैकेट भी उपलब्ध कराया जायेगा तथा उसे मौके पर आवश्यक निर्देश दिये जायेंगे।

घ– रोगी के स्मार्ट फोन पर होम आइसोलेशन ऐप तथा आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करवाया जाएगा।

च– रोगी के घर के ऊपर होम आइसोलेशन का पोस्टर लगाया जाएगा, जिसमें तिथियों का स्पष्ट उल्लेख होगा।

-4-

छ– रोगी को प्रतिदिन सुबह 9.00 बजे एवं सायं 7.00 बजे अपने तापमान एवं आक्सीजन सेचुरेशन की रीडिंग लेकर जोनल कार्यालय में बताने हेतु निर्देशित किया जाये तथा उन्हें इसका रिकार्ड भी लिखकर रखने हेतु निर्देशित किया जाएगा।

ज– रोगी के समस्त परिवारवालों को हाइड्राक्सी क्लोरो क्वीन एवं आइवरनेक्टिन भी उपलब्ध करायी जाएगी एवं खाने के तरीके एवं सावधानियों से अवगत कराया जाएगा।

12–जोनल कार्यालय में जोन के अंतर्गत होम आइसोलेशन में रह रहे रोगियों की एक पत्रावली रखी जाएगी, जिसमें आक्सीजन लेवल, तापमान आदि का विवरण रखा जाएगा। इन रोगियों से संबंधित डाटा को upcovid19tracks.in पोर्टल पर प्रतिदिन अपलोड भी किया जाएगा। पोर्टल पर इस हेतु महानिदेशक के द्वारा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

13–होम आइसोलेशन में रह रहे रोगी को लक्षण आने अथवा तबियत खराब होने की दशा में उसके द्वारा जोनल या इन्टीग्रेटेड कोविड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर को सूचना दी जाएगी जिससे कमांड सेंटर के द्वारा उन्हें उपयुक्त अस्पताल में भर्ती कराया जा सके।

14–जनपदीय इन्टीग्रेटेड कोविड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर में मौजूद कार्मिकों को चिन्हित कर जोनल इकाइयों से लिंक किया जायेगा ताकि जोनल टीमों का इन्टीग्रेटेड कोविड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर से मजबूत संबंध स्थापित हो सके।

15–किसी आकस्मिकता की स्थिति में पुष्ट रोगी द्वारा काल किए जाने पर कमाण्ड सेंटर सीधे भी कोविड अस्पताल में भर्ती करवाने हेतु कदम उठा सकेगा।

16–ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/ब्लाक पी0एच0सी0 जोनल इकाई की तरह कार्य करेगें तथा उसके प्रभारी चिकित्साधिकारी उक्त जोनल इकाई के नोडल/इन्चार्ज होंगे तथा उपरोक्त प्रोटोकाल के अनुसार कार्य सुनिश्चित करेंगे।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

6/8/20

(अमित मोहन प्रसाद)
अपर मुख्य सचिव।

<u>**संख्या–1616** (1)/–पांच–5/2020, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन।

3. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
5. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें/परिवार कल्याण विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

06.8.20

(प्राणेश चन्द्र शुक्ल)
उप सचिव